

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 1(92)चिशि/ग्रुप-1/2014

जयपुर, दिनांक 22.06.2017

आ दे श

डा.विष्णु कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, मेडिसिन, मेडिकल कॉलेज, जयपुर को राज्य में DM Clinical Hematology कोर्स उपलब्ध नही होने के कारण एम्स, नई दिल्ली में स्पॉन्सर्ड सीट से DM Clinical Hematology कोर्स करने हेतु राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 110 व 112 के प्रावधानों के अध्याधीन कोर्स ज्वाईन करने की तिथि से 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश एवं इसकी निरन्तरता में 01 वर्ष का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

डॉ.शर्मा अध्ययन अवकाश अवधि हेतु राजस्थान सेवा नियमों के तहत निर्धारित बन्ध पत्र प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, जयपुर को प्रस्तुत करेंगे।


आज्ञा से,


(भगवत सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा, जयपुर
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर
4. डा.विष्णु कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, मेडिसिन, मेडिकल कॉलेज, जयपुर
5. रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)

सहायक शासन सचिव